



# भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

## DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)  
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



### PUBLIC NOTICE

### सार्वजनिक सूचना


Dated: 25.4.2022

सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा/दंत शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा न करें। कोई भी भारतीय नागरिक/भारत के प्रवासी नागरिक, जो पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल/डेंटल कॉलेज में एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. या समकक्ष मेडिकल/डेंटल कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है, वह पाकिस्तान में अर्जित शैक्षिक योग्यता के आधार पर (किसी भी विषय में) एफ.एम.जी.ई./ स्क्रीनिंग परीक्षा में उपस्थित होने या भारत में रोजगार पाने के लिए पात्र नहीं होगा, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो दिसंबर 2018 से पहले या बाद में एम.एच.ए. से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान के डिग्री कॉलेजों / संस्थानों में शामिल हुए थे।

All concerned are advised not to travel to Pakistan for pursuing Medical/Dental Education. Any Indian national/Overseas Citizen of India who intends to take admission in MBBS/BDS or equivalent medical/dental course in any medical/dental college of Pakistan shall not be eligible for appearing in FMGE/Screening Test or seeking employment in India on the basis of educational qualifications (in any subject) acquired in Pakistan except those who had joined Pakistan degree colleges/institutions before December 2018 or later after obtaining Security Clearance from MHA till date.

2. हालांकि, प्रवासी और उनके बच्चे, जिन्होंने पाकिस्तान में मेडिकल/डेंटल डिग्री या उच्च शिक्षा हासिल की है और जिन्हें भारत द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, वे एम.एच.ए. से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद एफ.एम.जी.ई./ नेक्स्ट/ स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल होने या भारत में रोजगार पाने के पात्र बने रहेंगे।

2. However, migrants and their children who have acquired medical/dental degree or higher education in Pakistan and have been awarded citizenship by India would continue to be eligible for appearing in FMGE/NEXT/Screening Test or seeking employment in India after obtaining Security Clearance from MHA.

  
(डॉ. सब्यसाची साहा)

सचिव

भारतीय दन्त परिषद्